न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रा0पत्र संख्या :– 92 / 2020
निर्णय दिनांकः– 19.02.2021

1. बरदी लाल पुत्र रामकुंवार जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रार्थी

बनाम

1. छोटूलाल पुत्र रामचन्द्रा जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
2. पप्पू पुत्र रामचन्द्रा जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
3. ममता पुत्री रामचन्द्रा जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
4. रमेश पुत्र रामचन्द्रा जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
5. केली पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
6. रामस्वरूप पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
7. सोनी पुत्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
8. हेमराज पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
9. हरचन्दा पुत्र जगन्नाथ जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
10. भैरू पुत्र काना जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
11. भागुता पत्नु पन्ना जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
12. रामकिशन पुत्र श्योनारायण जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
13. नाथूलाल पुत्र भागुता जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
14. रामफुल पुत्र काना जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
15. गिरराज पुत्र रामकुंवार जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
16. फुला पुत्र रामकुंवार जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
17. मनबर पुत्री रामकुंवार जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
18. श्योजी पुत्र रामकुंवार जाति बैरवा निवासी गांगली तहसील उनियारा जिला टोंक
19. तहसीलदार उनियारा जिला टोक

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री बरकत्तुला खां वकील प्रार्थी
श्री सचिदानन्द शर्मा वकील अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 475 रकबा 0.08 , ख0न0 476 रकबा 0.08, ख0न0 477 रकबा 0.03 , ख0न0 478 रकबा 0.02, ख0न0 489 रकबा 0.03 , ख0न0 491 रकबा 0.04 , ख0न0 492 रकबा 0.03 है कुल किता 8 कुल रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा मे स्थित है। उक्त आराजी का मौके पर आपस मे बंटवारा हो रखा है। तथा ख0न0 493 रकबा 0.03 है0 प्रार्थी के हिस्से मे आई है। तथा प्रार्थी काबिजकाशत चला आ रहा है। प्रार्थी आराजी ख0न0 493 पर प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से अपने खातेदारी की आराजी पर ख0न0 475 व 476 की मेड पर से होकर आते जाते रहे है तथा इसी रास्ते से होकर अपने कृषि उपकरण, ट्रैक्टर ट्रोली हल बैल कुली इत्यादि लाते ले जाते रहे है । प्रार्थी के खातेदारी की भूमि वादग्रस्त आराजी पर आने जाने का इसके अतिरिक्त अन्य

कोई रास्ता भी नही है। जो कि प्रतिपक्षीगण ने पर चारो ओर चीरे गाडकर तारकशी कर प्रार्थी के रास्ते को बंद करने पर आमाद है। जिससें अपनें खातेदारी की भूमि में आने–जाने में अवरोध उत्पन्न हो गया है, जिसका उसे कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया तो प्रार्थीगण अपने जायज हक व अधिकारो से वंचित हो जायेगा। प्रार्थी नियमानुसार डीएलसी रेट के अनुसार जमा करवाने को तैयार है।

यह कि प्रार्थी की अधियाचना है कि प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि ख0न0 493 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु पुर्व की भांति आराजी ख0न0 475 व 476 की मेड पर की मेड के सहारे 12 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते हुए प्रार्थी को नियमानुसार डीएलसी रेट की राशि जमा करवाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 कर प्रतिपक्षीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। प्रतिपक्षीगण अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो का दौरान कथन किया की प्रार्थी अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी भूमि ख0न0 493 वाके ग्राम गांगली तहसील उनियारा पर आने जाने हेतु पुर्व की भांति आराजी ख0न0 475 व 476 की मेड पर की मेड के सहारे 12 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करते प्रार्थीगण डीएलसी रेट के अनुसार राशि का भुगतान करने को तैयार है। **प्रतिपक्षीगण अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि** वादग्रस्त प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खाततेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात हैं तथा संयुक्त खातेदार में प्रत्येक इंच पर खातेदारान का हिस्सा होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सयुक्त खातेदार को रास्ता दिया जाने का प्रावधान नही है। तथा विभाजन होने के उपरान्त ही प्रार्थी रास्ते का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरवाया जावे।

उभय पक्षों के अधिवक्ता की बहस पर गौर किया गया। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 वाके गांगली खाता संख्या 55 आराजी ख0न0 475 रकबा 0.08 , ख0न0 476 रकबा 0.08, ख0न0 477 रकबा 0.03 , ख0न0 478 रकबा 0.02, ख0न0 489 रकबा 0.03 , ख0न0 491 रकबा 0.04 , ख0न0 492 रकबा 0.03 है कुल किता 8 कुल रकबा 0.34 है0 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी दर्ज है। तथा संयुक्त खातेदार में प्रत्येक इंच पर खातेदारान का हिस्सा होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सयुक्त खातेदार को रास्ता दिया जाने का प्रावधान नही है। तथा विभाजन होने के उपरान्त ही प्रार्थी रास्ते का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है। **उक्त प्रकरण प्रार्थना पत्र 251 ए का न होकर राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 से संबंधित है। जो कि तहसीलदार उनियारा से संबंधित है। प्रकरण राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 एवं संयुक्त खातदोरी होने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है।**

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता हैं कि वे उक्त प्रकरण को 251 में दर्ज कर कदीमी रास्ते का खुलासा करवाए जिससें प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि पर पहुच सके । फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

S.Re.251a.128